रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1086] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940
No. 1086] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1221(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3194 (अ) तारीख 28 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, यावल वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के जलगांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर और 21° 18' 45" से 21° 18' 40" उत्तर अक्षांश और 75° 32' 15" से 75° 55' 27" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यावल वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र **177.52 वर्ग किलोमीटर** में आवृत है;

और, अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव-विविधता के लिए जाना जाता है जहां प्रजातियों जैसे बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), भारतीय लोमड़ी *(वुलपेस बेनगालेंसिस),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), भेडिया (*कैनिस लुपुस पल्लीपेस),* सामान्य जंगली बिल्ली *(फेलिस चाउस),* तेंदुआ*(पेन्थेरा प्रड्यूस),* रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), चौंसिगा मृग *(टेटराकेरूस क्वाड्रिकॉर्निस),* काला हिरन *(अंटीलोपे केरविकेपरा*), भारतीय गजेला/चिंकारा *(गजेला बेनेटेटी),* नीलगाय*(बोसेलाफ़स ट्रागोकेमेलुस),* चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), भारतीय बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), फुलवस

राउंडलीफ़ बैट *(हिप्पोसिडेरोउस फुलवस)*, तेंदुआ गेको *(यूब्लेफरीस मकुलारीउस)*, ब्रोक्स हाउस गेको *(हेमिदाकटयलुस ब्रोकि)*, बारक गेको *(हेमिदाकटयलुस लेस्चानाउलटी)*, टेरमिट हील्ल गेको *(हेमिदाक्टयलुस टरीइदरूस)*, ओरिएण्टल गार्डन लिजार्ड *(कलोटेस वेरसिकोलोर)*, शॉर्ट हेड्ड बुरोइंग मेंढक*(स्फैरोथेका ब्रेविकेप्स)*, इंडियन ब्यूरिंग मेंढक*(स्फोरोथेका ब्रैविकेपस)*, सामान्य वर्म सांप *(टाइफलिना ब्रमिना)*, सामान्य अर्थ बोआ *(एरीक्स कोनिकस)*, इंडियन रॉक पायथन*(पायथन मूलयरूस)*, सामान्य जय *(ग्रराफियम दोसन)*, सामान्य रोज *(पचलीओपटा अरीस्टोलोचया)*, लाइम *(पपिलिओ देमोलेउस)*, पोइनियर *(अनाफइस अउरोट)*, लेमोन इमिग्रेंट*(कैटोप्सिलिया पैमोना)*,मोट्टलेड इमिग्रेंट *(कैटोप्सिलिया पयान्थे)*, ब्राइट बबूल ब्लू *(अजानुस उबालदूस)*, लिम ब्लू *(चिलादेस लजूस)*, ग्रास जवेल*(चिलादेस्टोचयलुस फ्रीयर)*, छोटा ब्रांडेड स्विफ्ट *(पेलोपिदस मथिअस)*, आदि हैं। जबकि यावल वन्यजीव अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण दुर्लभ/ संकटापन्न/ लुप्तप्राय/संकटपूर्ण लुप्तप्राय प्रजातियां बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), लॉग बिल्लड गिद्ध *(गैप्स इंडिकस)*, समुद्री मछली ईगल*(हलिइटुस ल्यूकोरियाफस)*, तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), चौसींगा मृग *(टेट्रासेरुस क्वॉड्रिकॉर्निस)*, रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), रूफस टेल्ड खरगोश *(लेपुस निगरीकोल्लिस रुफिकाडाटस)*, लेस्सर अदजुतांत *(लेप्टोप्टिलोस जवानिकस)*, ग्रेट स्पोट्टेड इगल *(क्लेंगा क्लेंगा)*, पेंटेड स्टॉर्क *(माइक्टेरिया सिउसीओसेफला)*, ब्लैक हेडेड आइबिस*(थ्रेसकॉर्निस मेलानोसेफालस)*, फेरुगिनोस पोचर्ड*(अयथ्या नयरोका)*, पलिड हैरियर *(किरकुस मैक्रोरस)*, वूल्ल्य नेक्ड सारस *(किकोनिया इपिस्कोपस)*, ब्लैक टेल्ड गोडविट *(लिमोसा लिमोसा)*, रिवर टर्न *(स्टर्ना ऑरांटिया)*, रेड नेक्ड फल्कोन *(फल्को चिकक्रेरा)*, भारतीय स्मूथ सांप *(पायथन मोलुरूस)*, वाइट टिप्ड लाइन ब्लू *(प्ररोसोटुस नोरिया)*, आदि पाई जाती हैं;

और, अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण पौधे प्रजातियां अनजान (*हरदविकिया बिनाटा*), बोर (*ज़िज़िफ़स मउरीटीनाना*), चिनच (*टैमारिंदस इंडिका*), चिंचोला (*अलबिजिया लेब्बेक*), धामन (*ग्रेविआ टिलिफ़ोलिया*), धवदा (*एनोगाइसस लैटिफोलिया*), दुधि कुडा (*होल्धेरेना एंटीडिसेंटिका*) ,कलांब (*स्टीफेन परविफोलिया)*, काला सिरस (*एल्बिजिया ओडोरातिसीमा*), कंसार *(एल्बिजिया अमारा)*, करंज *(पोंगामिया पिन्नता)*, खैर *(अकैशिया कटेचू)*, मोहुवा *(मधुका इंडिका)*, नाना *(लेगरस्ट्रोइस्मिया लांसो)*, नीम *(अज़दिराचट्टा इंडिका)*, निम्बरा *(मेलिया डुबिया)*, पिंपल *(फिकस रेलिगोसा)*, रीठा (*सैपिन्डस एमर्जिनैटस)*, साडाडा *(टर्मिनलिया टोमेंटोसा)*, टेम्भुरनी (*डायोस्पायरस पेरेग्रीन*), घोटी (*ज़िज़िपिफ़स एक्सपयरा*), हेंकल (*गयमनोस्पोरिअ स्पिनोसा*), कंगुली (*डेनद्रोफथोइ फलकाटा*), कुर्ती (*सोलनम गिगांटेउम*), निवाडुंग (*ओपंटिया डिलनैनी*), पर्हेकल (*फलाकोउरटिया इंडिका*), रंतुलास (*ओकिमुम बसिलिकम)*, रुई (*कैलोट्रोपिस गिगेंटिया*), सबरी, सबेर *(ईयूफोरबिया नेरिफोलिया)*, तुरान(*ज़िज़िफस रूगोसा*), थोर(*यूफोरबिया लिगुलारिया*), भिंगुली *(इंडीगोफेरा इंफेफेला)*, तारोटा *(कासिया तोरा*), चंबुली (*बाउहिनिया वाहली*), पलासवेल *(बटिया सुपरबा)*, उकक्षी (*कैलिकोप्टेरिस फ्लोरिबुन्डा*), भुट्टी (*अरिस्टिडा फनिकुलाटा)*, हरियाली *(किनोदों डेक्टाइलोन*), कुसली (*हेटेरोपोगोन कोंटोरतुस)*, कुंडा (*इस्कैमुम पिलोसुम*), मरवेल *(डिचानथियम अन्नुलातुम*), मैसी *(इसीलीमा लेक्सम*), *फुलिया* (*अप्लुदा वारीया)*, आदि अभिलिखित की गई हैं। जबकि अभयारण्य में क्रेपिंग हेम्प *(क्रोटोलारिया फिलीप्स)*, शानदार घास लिली *(इफिगेनिया मगिनिफिका)*, नारींगी क्रेरेनुलाटा दुर्लभ/ लुप्तप्राय पौधे प्रजातियां और लोमड़ी ब्रश आर्किड *(अरेडुी मैकुलोसम)*, मुर्रायस कोबरा लिली *(अरीसेइ मसुर्रायी)*, पेले घास लिली *(इफिगेनिया पल्लिदा)*, बैंगनी स्मिथिया *(स्मिथिया पुरपुरिया)*, *(यूफोरबिया सर्पेंस)*, बिकोलोर परसिनिया विओलेट *(एक्सैकम टेट्रागोनम)*, प्लांटैन आर्किड *(कैंसकोरैकन कैनेंसिस)*, पिंक रौट *(स्पिगेलिया एंथेल्मिया)*, पारनागम्फी *(फिलालोसेफेलम टेन्यू)*, बाम्बे एटलांसिया (*एटलांसिया रेसमोसा*), रोसय मिल्कवैड विने *(ऑक्सिटेलमा इस्कलेंतुम)*, पोगोनाचने रेकेमोसा, कॉमिंग लव ग्रास (*एराग्रोस्टिस कमिंगी*), आदि संकटापन्न पौधे प्रजातियां पाई जाती हैं। अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियां शानदार घास लिली *(इफिगेनिया मैगिनिफिका)*, गोकरना (क्लिटोरिया बिफ्लोरा*)*, मुर्राय कोबरा लिली *(अराइसेमा मुर्रायी)*, सिल्की मॉर्निंग ग्लोरी *(अरगरेयिया सेरीकेया)*, कार्वी *(कार्विया कल्लोसा)*, हबेनारिया फलांटगिनेया, आदि है;

और, यावल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के यावल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 7.65 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन यावल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर **शून्य** से **7.65** किलोमीटर में विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **403.98 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) यावल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के यावल वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध–IIख** और **उपाबंध-IIग** के रुप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और यावल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क और ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन और यावल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(iii) वन और वन्यजीव;

(iv) कृषि;

(v) राजस्व;

(vi) नगर विकास;

(vii) पर्यटन;

(viii) ग्रामीण विकास;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज;

(xii) लोक निर्माण विभाग; और

(xiii) आदिवासी विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्पित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो, ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटलों और रिसोर्ट का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु नए, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक

प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुपालन में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण होगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ई एस एम) में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना

सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना, पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां हैं, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध हैं ;

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जबतक कि अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में

		भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परंतु यह और कि, गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित। (भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचना।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, जलीय कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मो, कॉरपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबन्धित के सिवाय) होंगे।

22.	ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भष्मीकरण सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहि:स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश का बचाव किया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
32.	वाहन उत्सर्जन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
33.	कृषि प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	बागान और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति के संघटक	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, जलगांव	अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जलगांव	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vii)	महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(viii)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, यावल प्रभाग, जलगाँव	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात् मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/44/2016–ई एस जेड–आर ई]

डा. सतीश चन्द गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

यावल वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सीमा के जुड़ाव सीमा के कम्पार्टमेंट सं.11 के उत्तरी और पूर्वी कोण से आरंभ होकर, यह जिनसी ग्राम के पूर्वी भाग सीमा, मध्य प्रदेश राज्य की उत्तरी भाग सीमा है।

राज्य में यह कम्पार्टमेंट सं.-11 के उत्तरी भाग से जाती है, इसके बाद कम्पार्टमेंट सं.11 और 10 के साथ उत्तर की ओर जाकर, इसके बाद मोरवल और पाल ग्राम की सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह पाल ग्राम सीमा और कम्पार्टमेंट सं.60 की सीमा से जुड़ती है। यह कम्पार्टमेंट सं.60 से होते हुए महाराष्ट्र को सुकी नदी से पार करके मध्य प्रदेश से आती है जहाँ मंजल नदी और सुकी नदी जुड़ती है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश राज्य की दक्षिणी सीमा और मंजल नदी के साथ कम्पार्टमेंट सं.-60 और 58 की उत्तरी भाग सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है, कम्पार्टमेंट सं- 57, 61, 62, 110, 113, 114 के उत्तरी भाग सीमा और मध्य प्रदेश राज्य की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद कम्पार्टमेंट सं- 114 के उत्तरी भाग की ओर जाती है यह अनेर नदी के साथ आड़े-तिरछे ढंग में जाती है और मध्य प्रदेश राज्य अर्थात् अनेर नदी की दक्षिणी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं- 120,121,122,125,128 के उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम भाग की ओर जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सीमा और मध्य प्रदेश राज्य अर्थात् अनेर नदी की दक्षिणी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं- 134,135,136,137,138,139, **(कम्पार्टमेंट सं. 61 से 139 यावल वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा आवृत है)** 166,168 और 169 की उत्तरी सीमा के साथ जाते है।

पारिस्थितिकी संवदी जोन सीमा कम्पार्टमेंट सं. 169 और 170 के जुड़ाव में उत्तर से दक्षिण तक मुड़ती है, कम्पार्टमेंट सं.169 पश्चिम और उत्तर कोण, कम्पार्टमेंट सं.169,171,175,176,180 के पश्चिमी सीमाओं के साथ से दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं.180 और 181 के जुड़ाव में पूर्वी भाग की ओर मुड़ती है जो कि कम्पार्टमेंट सं.180 के पश्चिम और दक्षिण का कोण बिंदु है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 180,178,179,161,151,108,106,105,102,101,92, 93, 86, 84, 73,74,75,45,43,34 की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं.33 की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर इसके बाद जनौरी ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः जनौरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर पुनः जनौरी ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद जनौरी और खिरौदा ग्राम के जोर के साथ खिरौदा ग्राम के पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर पुनः खिरौदा ग्राम के दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। सवखेडा बी के ग्राम का जोड़, सवखेडा बीके ग्राम के दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर, सवखेडा बीके ग्राम का जुड़ाव और सवखेडा बीके ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ लोहारा के उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर, लोहारा ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व, तब पूर्व में मुड़ती है। इसके बाद लोहारा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ, लोहारा और कुसुम्बा बीके ग्राम की सीमा के उत्तर की ओर मुड़ती है। इसके बाद कुसुम्बा बीके ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद कुसुम्बा बीके ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं.23 की वन सीमा के उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद कम्पार्टमेंट सं.23,20,1918,14 की पूर्वी सीमाओं के साथ कम्पार्टमेंट

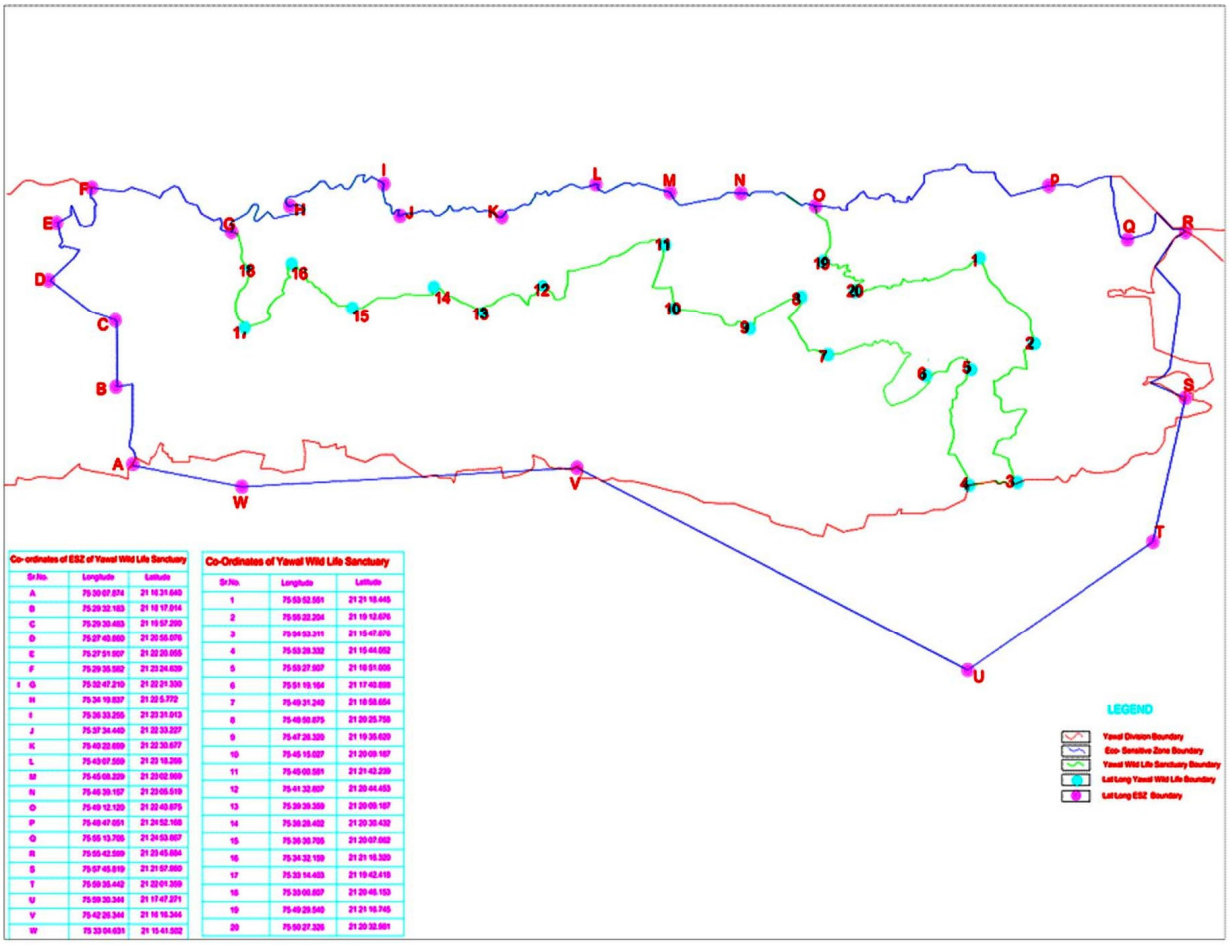

सं.12,14,13 के आड़े-तिरछे ढंग से उत्तर की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं.12 की दक्षिणी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं.12 और 13 के पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट 11 की पूर्वी सीमा के साथ मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं.11 के जुड़ाव के आरंभिक बिंदु के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है।

<u>उपाबंध-IIक</u>

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ यावल वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

उपाबंध-IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ यावल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध- IIग

यावल वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

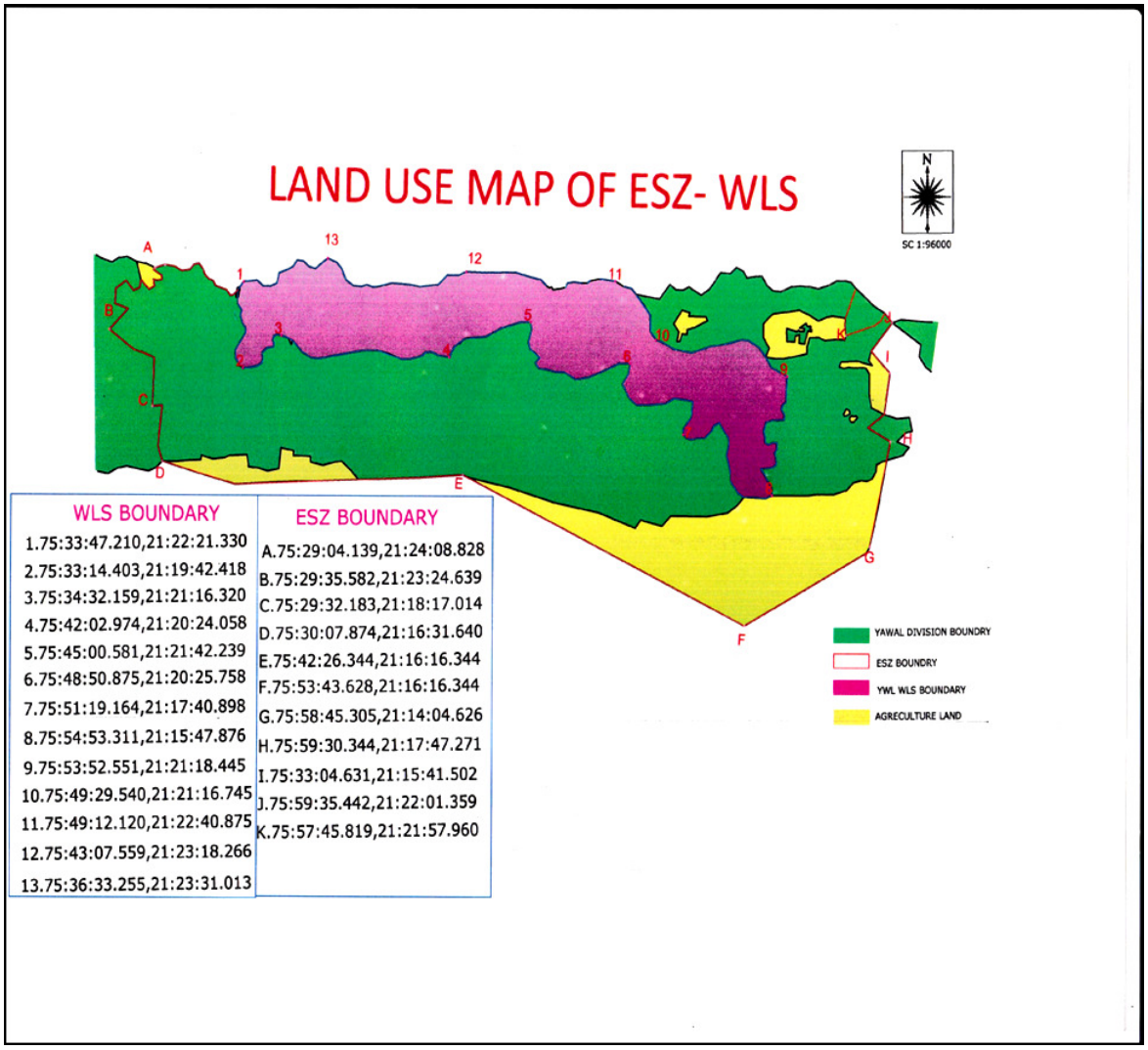

उपाबंध-III

सारणी क: यावल वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	75° 33' 47.210" पू	21° 22' 21.330" उ
2.	75° 33' 14.403" पू	21° 19' 42.418" उ
3.	75° 34' 32.159" पू	21° 21' 16.320" उ
4.	75° 42' 02.974" पू	21° 20' 24.058" उ
5.	75° 45' 00.581" पू	21° 21' 42.239" उ
6.	75° 48' 50.875" पू	21° 20' 25.758" उ

7.	75° 51' 19.164" पू	21° 17' 40.898" उ
8.	75° 54' 53.311" पू	21° 15' 47.876" उ
9.	75° 53' 52.551" पू	21° 21' 18.445" उ
10.	75° 49' 29.540" पू	21° 21' 16.745" उ
11.	75° 49' 12.120" पू	21° 22' 40.875" उ
12.	75° 43' 07.559" पू	21° 23' 18.266" उ
13.	75° 36' 33.255" पू	21° 23' 31.013" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
ए.	75° 29' 04.139" पू	21° 24' 08.828" उ
बी.	75° 29' 35.582" पू	21° 23' 24.639" उ
सी.	75° 29' 32.183" पू	21° 18' 17.014" उ
डी.	75° 30' 07.874" पू	21° 16' 31.640" उ
ई.	75° 42' 26.344" पू	21° 16' 16.344" उ
एफ.	75° 53' 43.628" पू	21° 16' 16.344" उ
जी.	75° 58' 45.305" पू	21° 14' 04.626" उ
एच.	75° 59' 30.344" पू	21° 17' 47.271" उ
आई.	75° 33' 04.631" पू	21° 15' 41.502" उ
जे.	75° 59' 35.442" पू	21° 22' 01.359" उ
के.	75° 57' 45.819" पू	21° 21' 57.960" उ

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ यावल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	गदरया	21° 22' 58.83" उ	75° 43' 54.97" पू
2	जमनया	21° 22' 00.97" उ	75° 42' 02.96" पू
3	लंगदा अम्बा	21° 22' 17.38" उ	75° 40' 13.86" पू
4	उसमाली	21° 22' 51.33" उ	75° 37' 50.38" पू

भू-निर्देशांकों के साथ यावल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	पाल	21° 21'41.91" उ	75° 54' 07.39" पू
2	गरखेडा	21° 21' 29.68" उ	75° 51' 49.88" पू
3	निमदया	21° 20' 20.85" उ	75° 51' 44.95" पू
4	सहसतरालिंग	21° 19' 52.36" उ	75° 58' 21.66" पू
5	मोरवल	21° 21' 44.34" उ	75° 57' 49.20" पू
6	लोहरा	21° 15' 31.97" उ	75° 56' 04.35" पू
7	कुसुम्बा बी के	21° 15' 16.78" उ	75°57'41.45" पू
8	सवखेडा बी के	21° 13' 43.12" उ	75°53' 40.88" पू
9	खिरोदा	21° 12' 30.36" उ	75 ° 52' 53.85" पू
10	चिनचाती	21° 15' 53.04" उ	75 ° 54' 10.64" पू
11	जनोरी	21° 15' 02.26" उ	75 ° 51' 33.56" पू
12	अधरमाली	21° 19' 15.21" उ	75 ° 51' 04.40" पू
13	तिदया	21° 17' 30.97" उ	75 ° 50' 07.45" पू
14	कंड़यापानी	21°16' 30.79" उ	75 ° 30' 30.79" पू
15	देवोजिरी	21°22' 01.65" उ	75 ° 30' 29.05" पू
16	देवगढ़	21°22' 39.00" उ	75 ° 29' 08.00" पू

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । (पारिस्थितिकी संवेदी जोन-वार) ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं) ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1221(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3194(E) dated the 28th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Yawal Wildlife Sanctuary is located about 40 kilometers from Jalgaon district Headquarter, Maharashtra and lies between 21° 18' 45" to 21° 18' 40" North latitude and 75° 32' 15" to 75° 55' 27" East longitude. The area covered by Yawal Wildlife Sanctuary is **177.52 square kilometers;**

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for its rich bio-diversity where species such as tiger (*Panthera tigris*), striped hyena *(Hyaena hyaena*), Indian fox (*Vulpes bengalensis),* jackal (*Canis aureus*), wolf (*Canis lupus pallipes),* common jungle cat (*Felis chaus*), leopard (*Panthera paradus*), sloth beer (*Melursus ursinus*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), blackbuck (*Antilope cervicapra*), Indian gazelle / chinkara *(Gazella bennettii),* nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), spotted deer (*Axis axis),* Indian wild boar (*Sus scrofa*), fulvus roundleaf bat (*Hipposiderous fulvas),* leopard gecko *(Eublepharis macularius),* brookes house gecko *(Hemidactylus brooki),* bark gecko *(Hemidactylus leschenaultii),* termite hill gecko *(Hemidactylus triedrus),* oriental garden lizard *(Calotes versicolor),* short headed burrowing frog *(Sphaerotheca breviceps),* Indian burrowing frog *(Sphaerotheca breviceps),* common worm snake *(Typhlina bramina),* common earth boa *(Eryx conicus),* Indian rock python *(Python molurus),* common jay *(Graphium doson),* common rose *(Pachliopta aristolochiae)*, lime (*Papilio demoleus)*, pioneer (*Anaphaeis aurot),* lemon emigrant *(Catopsilia pamona),* mottled emigrant *(Catopsilia pyranthe),* bright babul blue *(Azanus ubaldus),* lime blue *(Chilades lajus),* grass jewel *(Chiladestrochylus freyer),* small branded swift *(Pelopidas mathias),* etc. While important rare/threatened/endangered/critically endangered species found in the Yawal Wildlife Sanctuary are tiger (*Panthera tigris),* long billed vulture *(Gyps indicus),* pallas fish eagle *(Haliaeetus leucoryphus),* leopard *(Panthera paradus),* four horned antelope *(Tetracerus quadricornis),* sloth beer *(Melursus ursinus),* rufus tailed hare *(Lepus nigricollis ruficaudatus),* lesser adjutant *(Leptoptilos javanicus),* great spotted eagle *(Clanga clanga),* painted stork *(Mycteria ceucocephala),* black headed ibis *(Threskiornis melanocephalus),* ferruginosus pochard *(Aythya nyroca),* pallid harrier *(Circus macrourus),* woolly necked stork *(Ciconia episcopus),* black tailed godwit *(Limosa limosa),* river tern *(Sterna aurantia),* red necked falcon *(Falco chicquera),* Indian smooth snake *(Python molurus),* white tipped line blue *(Prosotus noreia),* etc.;

AND WHEREAS, the important plant species recorded from the sanctuary are anjan (*Hardwickia binata*), bor (*Ziziphus mauritiana*), chinch (*Tamarindus indica*), chinchola (*Albizia lebbeck*), dhaman (*Grewia tiliifolia*), dhavada (*Anogeissus latifolia*), dudhi kuda (*Holarrhena antidysenterica*), kalamb (*Stephegyne parvifolia*), kala siras *(Albizzia odoratissima*), kansar (*Albizzia amara)*, karanj (*Pongamia pinnata*), khair (*Acacia catechu*), mohuwa (*Madhuca indica*), nana (*Lagerstroemia lanceolata*), neem (*Azadirachta indica*), nimbara (*Melia dubia)*, pimpal (*Ficus religiosa*), ritha (*Sapindus emarginatus*), sadada (*Terminalia tomentosa*), tembhurni (*Diospyros peregrine*), ghoti (*Ziziphus xylopyra*), henkal (*Gymnosporia spinosa*), kanguli (*Dendrophthoe falcata*), kurti (*Solanum giganteum*), nivdung (*Opuntia dillenii*), parhenkal (*Flacourtia indica*), rantulas (*Ocimum basilicum*), rui (*Calotropis gigantea*), sabri,sabar (*Euphorbia nerifolia*), turan (*Zizyphus rugosa*), thor (*Euphorbia ligularia),* bhinguli (*Indigofera enhaephylla*), tarota (*Cassia tora),* chambuli (*Bauhinia vahlii*), palaswel (*Butea superba*), ukshi (*Calycopteris floribunda*), bhuti (*Aristida funiculata*), hariyali (*Cynodon dactylon*), kusali (*Heteropogon contortus*), kunda (*Ischaemum pilosum*), marvel *(Dichanthium annulatum*),

meshi *(Iseilema laxum*), phulia (*Apluda varia),* etc. While creping hemp *(Crotolaria filipes,),* magnificent grass lily *(Iphigenia maginifica), Naringi crenulata* are rare/endangered plant species and fox brush orchid *(Aredis maculosum),* murrays cobra lily *(Arisaema murrayi),* pale grass lily *(Iphigenia pallida),* purple smithia *(Smithia purpurea), (Euphorbia serpens),* bicolor persian violet *(Exacum tetragonum),* plantain orchid *(Canscoracon canensis),* pink root *(Spigelia anthelmia),* Parnagumphi *(Phyllocephalum tenue),* Bombay Atalantia *(Atalantia racemosa),* rosy milkweed vine *(Oxystelma esculentum), Pogonachne racemosa,* comings love grass *(Eragrostis cumingii),* etc. are the threatened plant species found in the sanctuary. The important endemic species of the sanctuary are magnificent grass lily *(Iphigenia maginifica),* gokarna *(Clitoria biflora),* Murray's cobra lily *(Arisaema murrayi),* silky morning glory *(Argyreia sericea),* karvi *(Carvia callosa), Habenaria plantaginea,* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Yawal Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from zero to 7.65 kilometres around the boundary of Yawal Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero to 7.65 kilometres around the boundary of Yawal Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 403.98 square kilometres.

   (2) The boundary description of Yawal Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Yawal Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Yawal Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in Yawal Wildlife Sanctuary and the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
   (i) Environment;
   (ii) Maharashtra State Pollution Control Board;
   (iii) Forest and Wildlife;
   (iv) Agriculture;
   (v) Revenue;
   (vi) Urban Development;
   (vii) Tourism;
   (viii) Rural Development;
   (ix) Irrigation and Flood Control;
   (x) Municipal;
   (xi) Panchayati Raj;
   (xii) Public Works Department; and
   (xiii) Tribal Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under.-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities;

		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent

		Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws; and the activity shall be monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.

28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Vehicular emissions.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Jalgaon	Chairman;
(ii)	C.E.O. Zilla Parishad, Jalgaon	Member;
(iii)	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(iv)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(vii)	Member of Maharashtra State Biodiversity Board	Member;
(viii)	Senior town planner of the area	Member;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Yawal Division, Jalgaon	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure-V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25-44-2016-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE YAWAL WILDLIFE SANCTUARY, MAHARASHTRA

The Eco-sensitive Zone boundary starts from northern and eastern corner of comptt. No.11 boundary at the joint of Maharashtra and Madhya Pradesh State boundary, at its eastern side boundary of Jinsi village, at its northern side boundary of Madhya Pradesh.

State at its southern side comptt. No.- 11, then goes towards north along with Comptt.no.11 and 10, then turns towards west along with boundary of Village Morval and Pal. Then, at the joint of village boundary of village Pal and boundary of comptt.no. 60. There is a joint of Manjal river and Suki river coming from M.P. Suki river crosses to Maharashtra through comptt.no.60. Then it goes towards West along with northern side boundary of Comptt. No- 60 and 58 alongwith Manjal river and southern boundary of Madhya Pradesh State, going west along with northern side boundary of comptt.no-57, 61, 62, 110, 113, 114 and southern boundary of Madhya Pradesh State, then goes to northern side of comptt.no-114. going in zigzag along with Aner river and going toward western side alongwith northern boundary of comptt.no-120,121,122,125,128 along with southern boundary of Madhya Pradesh State i.e. Aner river. Then goes along with southern boundary Madhya Pradesh State boundary and northern side of comptt.no-134,135,136,137,138,139,(**Northern boundary of Yawal Wild life Sanctuary covers form comptt.no.61 to 139**)166,168 and169 along with southern boundary of Madhya Pradesh State i.e. Aner river.

The Eco-sensitive Zone boundary turns form north to south at the joint of comptt.no.169 and170, along west and north corner of comptt.no.169 goes towards south, along with western boundaries of comptt.no.169, 171,175, and 176,180. Then turns towards eastern side at the joint of comptt.no.180 and 181which is corner point of west and south of comptt.no.180. Then, goes towards east along southern boundary of comptt. no.180,178,179,161,151, 108,106, 105,102,101, 92,93, 86,84, 73,74,75,45,43,34. Then turn towards southern along western boundary of comptt.no.33, Then turns to west along with northern boundary of villages Janori again turn to south along with western boundary of village Janori again turn to north east along southern boundary Janori. Then at the joint of village Janori and Khiroda turns to south along with western boundary of village Khiroda again turns to north east along with southern boundary of village Khiroda. Turns to south east at joint of village Savkheda Bk, along with southern boundary village Savkheda Bk, turns to north east up to joint of village Savkheda Bk and Lohara along with eastern boundary of village Savkheda Bk, turns to east then north again south east then east along with southern boundary of village Lohara. Then, turns towards north upto joint of boundary of village Lohara and Kusumba Bk., along with eastern boundary of village Lohara. Then turn to south east along southern boundary of village Kusuba Bk. Then turns to north upto joint of forest boundary of comptt. no. 23 along with eastern boundary of village Kusuba Bk. Then turns to north zigzag way upto joint of comptt.no.12,14,13 along with eastern boundaries of comptt.no.23,20,1918,14. Then turn to east upto joint of comptt.no.12 and 13 along with southern boundary of comptt.no.12. Then turn to north east upto the starting point at the joint of comptt.no.11, southern boundary of Madhya Pradesh. State and Maharashtra State along with eastern boundary of comptt.11.

ANNEXURE-IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR YAWAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

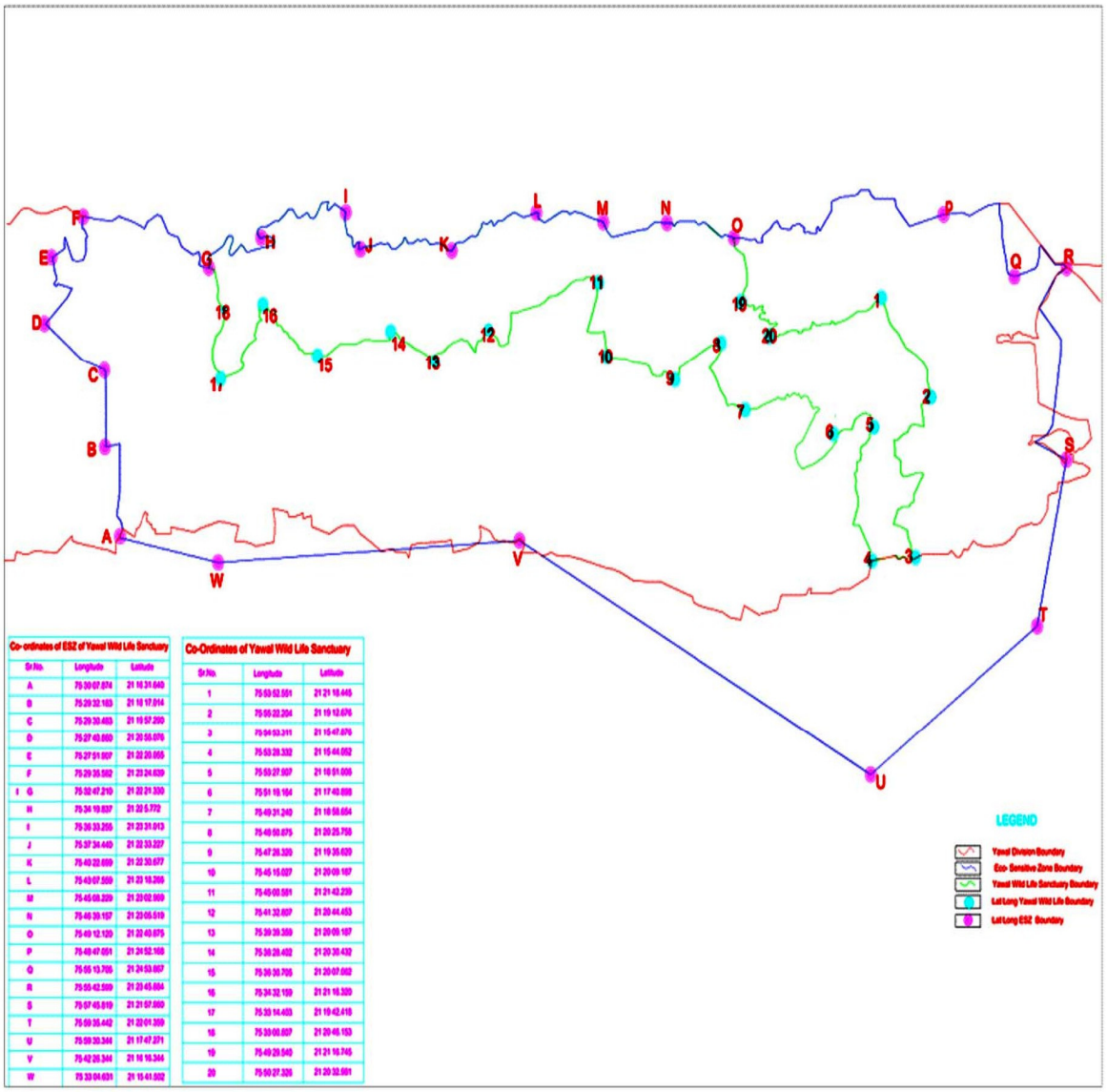

Co-ordinates of ESZ of Yawal Wild Life Sanctuary

Sr.No.	Longitude	Latitude
A	75 30 07.874	21 16 31.640
B	75 29 32.183	21 16 17.014
C	75 29 30.483	21 19 57.200
D	75 27 40.860	21 20 55.076
E	75 27 51.907	21 22 20.055
F	75 29 36.582	21 23 24.839
G	75 32 47.210	21 22 21.330
H	75 34 19.837	21 22 5.772
I	75 36 33.255	21 23 31.013
J	75 37 34.440	21 22 33.227
K	75 40 22.699	21 22 30.677
L	75 43 07.559	21 23 18.266
M	75 45 08.229	21 23 02.909
N	75 46 39.157	21 23 05.519
O	75 49 12.120	21 22 40.875
P	75 49 47.051	21 24 52.168
Q	75 55 13.706	21 24 53.867
R	75 55 42.599	21 23 45.884
S	75 57 45.819	21 21 57.860
T	75 59 35.442	21 22 01.309
U	75 59 30.344	21 17 47.271
V	75 42 26.344	21 16 16.344
W	75 33 04.631	21 15 41.502

Co-Ordinates of Yawal Wild Life Sanctuary

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	75 53 52.551	21 21 18.445
2	75 55 22.204	21 19 12.676
3	75 54 53.311	21 15 47.876
4	75 53 28.332	21 15 44.052
5	75 53 27.907	21 18 51.806
6	75 51 19.164	21 17 40.888
7	75 49 31.240	21 18 58.654
8	75 49 50.875	21 20 25.758
9	75 47 28.320	21 19 35.629
10	75 45 15.027	21 20 09.187
11	75 45 00.581	21 21 42.239
12	75 41 32.807	21 20 44.453
13	75 39 39.359	21 20 09.187
14	75 38 28.402	21 20 30.432
15	75 36 30.705	21 20 07.082
16	75 34 32.159	21 21 16.320
17	75 33 14.403	21 19 42.418
18	75 33 00.607	21 20 46.153
19	75 49 29.540	21 21 16.745
20	75 50 27.326	21 20 32.981

ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF YAWAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

ANNEXURE- IIC

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF YAWAL WILDLIFE SANCTUARY, MAHARASHTRA

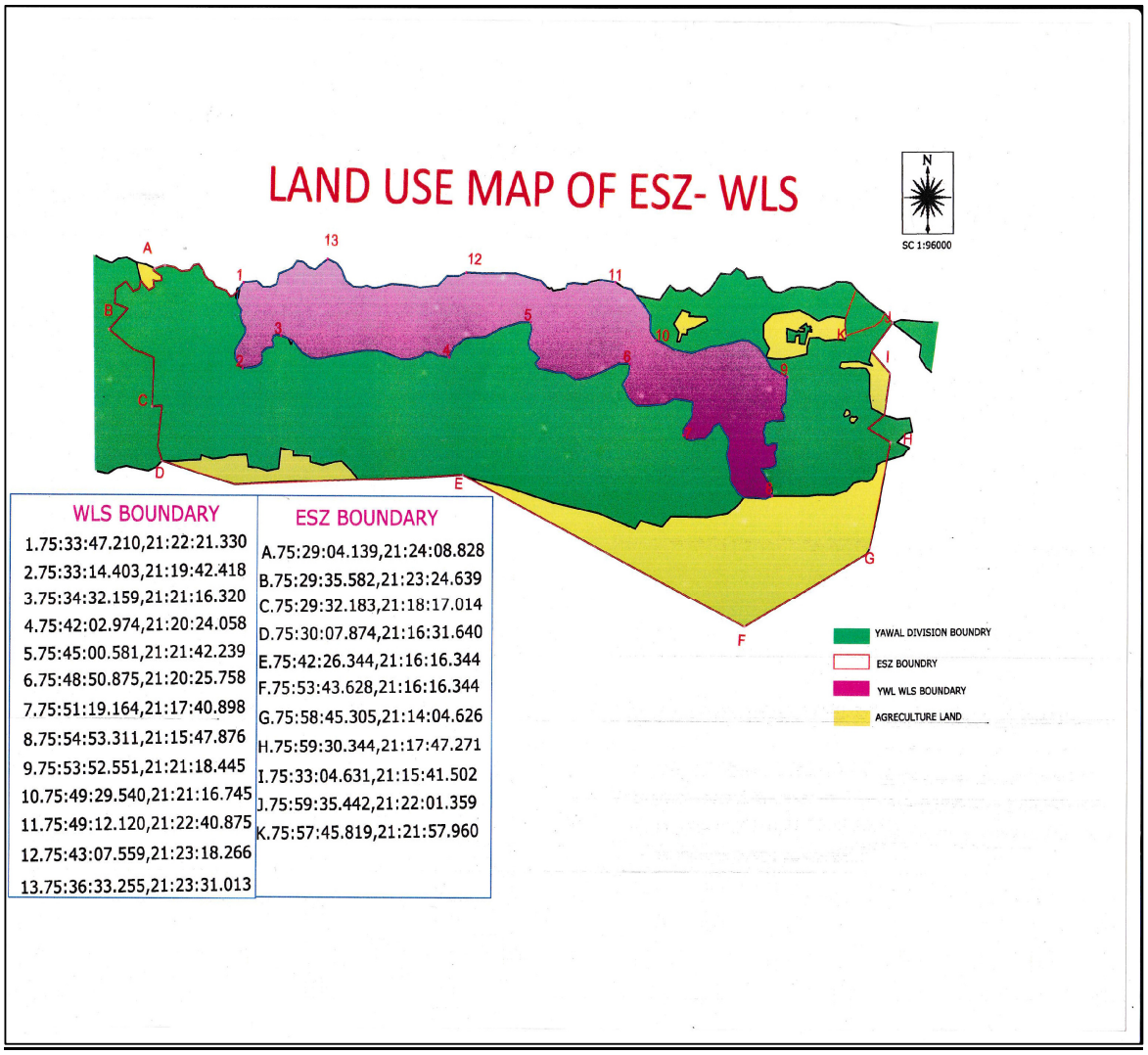

ANNEXURE-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF YAWAL WILDLIFE SANCTUARY, MAHARASHTRA

Sl. No.	Longitude	Latitude
1.	75° 33’ 47.210” E	21° 22’ 21.330” N
2.	75° 33’ 14.403” E	21° 19’ 42.418” N
3.	75° 34’ 32.159” E	21° 21’ 16.320” N
4.	75° 42’ 02.974” E	21° 20’ 24.058” N
5.	75° 45’ 00.581” E	21° 21’ 42.239” N
6.	75° 48’ 50.875” E	21° 20’ 25.758” N
7.	75° 51’ 19.164” E	21° 17’ 40.898” N
8.	75° 54’ 53.311” E	21° 15’ 47.876” N

9.	75° 53’ 52.551” E	21° 21’ 18.445” N
10.	75° 49’ 29.540” E	21° 21’ 16.745” N
11.	75° 49’ 12.120” E	21° 22’ 40.875” N
12.	75° 43’ 07.559” E	21° 23’ 18.266” N
13.	75° 36’ 33.255” E	21° 23’ 31.013” N

TABLE B: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE

Sr. No.	Latitude	Longitude
A.	75° 29’ 04.139” E	21° 24’ 08.828” N
B.	75° 29’ 35.582” E	21° 23’ 24.639” N
C.	75° 29’ 32.183” E	21° 18’ 17.014” N
D.	75° 30’ 07.874” E	21° 16’ 31.640” N
E.	75° 42’ 26.344” E	21° 16’ 16.344” N
F.	75° 53’ 43.628” E	21° 16’ 16.344” N
G.	75° 58’ 45.305” E	21° 14’ 04.626” N
H.	75° 59’ 30.344” E	21° 17’ 47.271” N
I.	75° 33’ 04.631” E	21° 15’ 41.502” N
J.	75° 59’ 35.442” E	21° 22’ 01.359” N
K.	75° 57’ 45.819” E	21° 21’ 57.960” N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER THE YAWAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of Village	Latitude	Longitude
1	Gadrya	21° 22' 58.83" N	75° 43' 54.97" E
2	Jamnya	21° 22' 00.97" N	75° 42' 02.96" E
3	Langda Amba	21° 22' 17.38" N	75° 40' 13.86" E
4	Usmali	21° 22' 51.33" N	75° 37' 50.38" E

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF YAWAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sr. No.	Village	Latitude	Longitude
1	Pal	21° 21'41.91” N	75° 54' 07.39” E
2	Garkheda	21° 21' 29.68” N	75° 51' 49.88” E
3	Nimdya	21° 20' 20.85” N	75° 51' 44.95” E
4	Sahstraling	21° 19' 52.36” N	75° 58' 21.66” E
5	Morval	21° 21' 44.34” N	75° 57' 49.20” E

6	Lohara	21° 15' 31.97" N	75° 56' 04.35" E
7	Kusumba Bk.	21° 15' 16.78" N	75°57'41.45" E
8	Savkheda Bk.	21° 13' 43.12" N	75°53' 40.88" E
9	Khiroda	21° 12' 30.36" N	75 ° 52' 53.85" E
10	Chinchati	21° 15' 53.04" N	75 ° 54' 10.64" E
11	Janori	21° 15' 02.26" N	75 ° 51' 33.56" E
12	Adharmali	21° 19' 15.21" N	75 ° 51' 04.40" E
13	Tidya	21° 17' 30.97" N	75 ° 50' 07.45" E
14	Kundyapani	21°16' 30.79" N	75 ° 30' 30.79" E
15	Deoziri	21°22' 01.65" N	75 ° 30' 29.05" E
16	Devgadh	21°22' 39.00" N	75 ° 29' 08.00" E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.14 21:45:31 +05'30'